न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान ईश्वरसिंह आदि **बनाम** नरेन्द्र कुमार आदि

वाद संख्या 235 वर्ष **2025**

निर्णय दिनांक :— 13/11/25

1. ईश्वरसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. बलवान सिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. रामावती पुत्री पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
4. सजना पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
5. धनकोरी पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू

— वादीगण —

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी पण्डरेक टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. बनवारी लाल दनेवा पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर(चूरू)
3. बलबीर पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
4. भंवर लाल पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं नक्शा तरमीम रिकॉर्ड हस्ब दफा 88, 92ए अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:—

1. श्री अनिल कुमार स्वामी एवं श्री जीताराम शर्मा एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. श्री किशनलाल एवं श्री धर्मपाल स्वामी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
3. राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी संख्या 5

—:निर्णय:—

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि विवादित कृषिभूमि ख. नं. 486/447 तादादी 2.2508 हैक्टेयर वाके रोही मौजा पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है व कृषिभूमि ख. नं. 487/447 तादादी 3.6038 हैक्टेयर, ख. नं. 84 तादादी 0.9104 हैक्टेयर कुल तादादी 4.5142 हैक्टेयर वाके रोही पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त कृषिभूमियां ही विवादित है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य रहे है उक्त कृषिभूमि पूर्व में एक ही खातेदार की कृषिभूमि रही है

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

विभाजन के समय भूलवश राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की कृषिभूमि का रकबा गलत रूप से दर्ज हो गया जबकि उक्त खसरा ऊतर से दक्षिणी चौड़ाई में ज्यादा पैमुद हो गया है जबकि उक्त खसरा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में होना चाहिए था व उसी अनुसार वादीगण सदामत से अपनी कृषिभूमि काश्त करते आ रहे है उक्त खसरा सं. 486/447 ही वादगत है जिसे मुताबिक काश्त सही व दुरस्त की तरमीम किया जाना आवश्यक है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा एवं कहलवाया कि वो वादगत कृषिभूमि ख. नं. 486/447 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड नक्शा को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त व तरमीम करवाने हेतु कई कहा वार तो वे कई दिनों तक तो हाँ भरते रहे और आखिरकार दिनांक 20.07.2025 को बमुकाम पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर में साफ इन्कार हो गये। इसलिए उपरोक्त तारीख ही वाद कारण एवं वादाधार वादीगण को खिलाफ प्रतिवादीगण हासिल है। विवादित कृषिभूमि व पक्षकारान वाद पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित होने से न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से अदालत हाजा को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्त में वादगत भूमि ख. नं. 486/447 तादादी 2.2508 हैक्टेयर वाके रोही मौजा पण्डरेऊ टिब्बा में स्थित उक्त भूमि का नक्शा (तरमीम) वादीगण मुताबिक हक हिस्सा व विभाजन काबिज काश्त चले आ रहे है उक्त खसरा उतर से दक्षिण चौड़ाई में ना होकर पूर्व पश्चिम लम्बाई में स्थितानुसार ही नक्शा राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त करवाकर तरमीम की जावें। आदि–आदि

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से वकालतनाम श्री किशनलाल एवं श्री धर्मपाल स्वामी अधिवक्ता ने पेश किया। पत्रावली ग्रामीण सेवा शिविर 2025 पण्डरेउ ताल में पेशी में ली गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित आये। तहसीलदार तारानगर द्वारा मय पटवार हल्का एवं भू.अ.नि. की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट के रोही ग्राम पण्डरेउ टिब्बा के ख.नं. 486/447 तादादी 2.2508 हैक्ट. भूमि की तरमीम राजस्व रिकार्ड नक्शा में मौका अनुसार सही नहीं है। मौका अनुसार तरमीम सही कराने हेतु वादीगण व प्रतिवदीगण सहमत है। संलग्न मौका नक्शा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है। प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार तारानगर की ओर से राजपैरोकार उपस्थित आये।

वकील वादीगण पक्षकारान बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे के क्रम में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक एलआर/2025/15 दिनांक 16.10.2025 के संलग्न पटवार हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बांय की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा ''एनेक्चर ए'' का अवलोकन किया गया। मुताबिक उक्त रिपोर्ट के रोही ग्राम पण्डरेउ टिब्बा के खसरा नंबर 486/447 तादादी 2.2508 हैक्ट. राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। किन्तु विभाजन के समय भूलवश राजस्व रिकार्ड में वादीगण की कृषिभूमि का रकबा गलत रूप से दर्ज हो गया जबकि उक्त खसरा उत्तर से दक्षिणी चौड़ाई में ज्यादा पैमुद हो गया है जबकि उक्त खसरा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में होना चाहिए। वादीगण ने मुताबिक कब्जा काश्त के राजस्व नक्शे में अंकित करवाने का निवेदन किया है। जिसको तहसीलदार तारानगर ने अपनी जांच

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 द्वारा प्रमाणित किया है एवं उक्त रिपोर्ट के अनुसार ही पक्षकारान तरमीम करवाने हेतु सहमत है। ऐसे में उभय पक्षकारान की सहमति व पैरोकार राज की अनुशंषा के अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई दोष सिद्धि नजर नहीं आती है एवं वाद वादी पुष्ट पाया जाता है।

—::आदेश::—

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार तारानगर की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 ''एनेक्चर ए'' के अनुसार रोही ग्राम पण्डरेउ टिब्बा के खसरा नंबर 486/447 तादादी 2.2508 हैक्ट. की तरमीम राजस्व नक्शे में करे। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 ''एनेक्चर ए'' निर्णय का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री अलग से जारी किया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 13/11/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)